इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मई 2011—वैशाख 12, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 2720-169-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अप्रैल 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २९ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३० में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(५) निगम के वार्षिक लेखे पर, अंकेक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत की जाएंगी.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. सम्पूर्ण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, शब्द ''नगर पंचायत'' जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द ''नगर परिषद्'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 2721-169-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 29th April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 2nd May, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. **Short title.**

PART - I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 of 1956)

2. In Section 130 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), after sub-section (4) the following new sub-section shall be inserted, namely:— **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.**

"(5) Copies of the audit report of the auditor on annual accounts of the Corporation shall be furnished to the State Government or such other authority as may be specified by the State Government in this behalf.".

PART - II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 of 1961)

3. Throughout the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), for the words "Nagar Panchayat" wherever they occur, the words "Nagar Parishad" shall be substituted. **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.